(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2559–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 507/निगरानी/2007–08

1. सीताराम तिवारी तनय गया प्रसाद तिवारी
2. जगदीश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 गयाप्रसाद तिवारी
3. महेश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 गया प्रसाद तिवारी
   निवासी ग्राम नेगुरा तहसील त्योंथर जिला रीवा

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. लखपति देवी पत्नी स्व0 तीरथप्रसाद
2. शिवशंकर प्रसाद सिंह तनय जयराम सिंह
3. रमाशंकर सिंह तनय जयराम सिंह
   निवासी ग्राम बरौ तहसील त्योंथर जिला रीवा

——— अनावेदकगण

.....

श्री जीतेन्द्र अवस्थी, अभिभाषक आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 40/अ–6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 21–8–07 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 17–1–08 के द्वारा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 31–5–14 द्वारा इस आधार पर निगरानी खारिज की कि अनावेदक कमांक 2 एवं 3 ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा अनावेदक कमांक 1 से भूमि कय की है अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाना उचित है। अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेशों को यथावत रखा। अपर आयुक्त उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि विवादित आराजी आवेदकगण एवं अनावेदक कं 1 की मां स्व0 रमादेवी भूमिस्वामी के रूप मे दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण द्वारा वारिसान नामांतरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार ने स्वीकार करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक कमांक 2 एवं 3 नामांतरण प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार नहीं थे। तहसीलदार के आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने यथावत रखने में त्रुटि की है।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन

किया। अपर आयुक्त आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लखपति से अनावेदक कमांक 2 एवं 3 ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से विवादित भूमि कय की। तहसीलदार के समक्ष प्रचलित नामांतरण प्रकरण में विवादित भूमि में हित होने से अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन पेश किया जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21–8–07 के द्वारा अनावेदक कमांक 2 एवं 3 का पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन स्वीकार किया है। तहसीलदार के आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया। तहसीलदार द्वारा पक्षकार बनाने बावत जो आदेश पारित किया है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–5–14 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर